[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3099

06 [illegible], 2019 [illegible] **प्रश्न** [illegible] **उत्तर**

नर्सों के लिए न्यूनतम वेतन

3099. [illegible]
[illegible]

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि दिल्ली सरकार सहित कई राज्य दिनांक 29 [illegible], 2016 को उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, नर्सों के लिए [illegible] नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नर्सों हेतु न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए सभी राज्यों को कोई निदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; [illegible]

(घ) क्या सरकार का सरकारी अस्पतालों में रोगी-नर्स अनुपात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है [illegible], तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, [illegible]?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री [illegible])

(क) से (ग): रिट याचिका संख्या 527/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2016 को दिए गए आदेश के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निदेश दिया था कि वह एक समिति गठित कर प्राइवेट अस्पतालों/संस्थानों में कार्यरत नर्सों की शिकायतों पर कार्रवाई करे। [illegible], स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2016 में एक समिति का गठन किया

गया था। इस संबंध म कानून दिशा-निदश बनाने के लिए समिति का 20 सिंबर, 2016 को दिल्ली □□□□□ सहित सभी राज्यां/□□ □□ज□ क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया था तथा इसके पश्चा□ ि□□□□ 24 □क□□□, 2016, 01 □□□□, 2017, 27 ि□□□□,2017, 13 □□□□, 2018, 10 □क□□□,2018 □□ □न□ □त्र जारी किए गए थे। इस मंत्रालय द्वारा 19-20 ि□□□□, 2019 □□ □□□□□□ □ी □□ ि□□□□ी □□□क्षा □□□□ □□□□□□□ □□ज□ी □□स□□स्थ्य सचिवां के ध्या□ □ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ ि□□ □□, स□□स्थ्य □□ज□ □□ ि□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□ □च□□□ न□□□□□□ □□□□□ □ी □□□□□□□ □ □□ संबंध म कानून बनाना तथा उसे कायान्वित करना संबंधित राज्यां/□□ □□ज□ क्षेत्र की सरकारां की □□म□□□ी □□

(□): □न्द्र □□□□□ □□□स□तालां म नसिग संवग म ि□ि□□□ श्रेणियां का स्वी□□ □ख□□ □ □□□-□□□ पर वृद्धि की जाती है। इसके अलावा, □□□□□ी □स□□□□ी □ □□-मरीज अनुपात का नि□□□□ स□□□ □स□क□□ □ि□□ □ी ि□शानिदशां/मानकां के अनुसार किया जाता है।

***